रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1987/चैत्र 20, 1909
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1987/CHAITRA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल 1987

सार्वजनिक सूचना सं. 14-ई टी सी (पी एन)/87

विषय :—चन्दन की लकड़ी से बने चिप्स की निर्यात नीति ।

फाइल स 6/29/86-ई-I.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 8-ई टी सी (पी एन)/85, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2 सार्वजनिक सूचना सं. 8-ई टी सी (पी एन)/85, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 में यथा उल्लिखित चन्दन की लकड़ी के ब्यौरे को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा—"चिप्स खुरदरे और विषम आकार और माप और विभिन्न मापों के होंगे और प्रत्येक का वजन 200 ग्राम

से अधिक नहीं होगा।" तदनुसार, आयात-निर्यात नीति अप्रैल 85-मार्च 1988 (खंड 2) के अनुबन्ध-2 के वर्तमान पैरे 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"चिप्स, फ्लेक्स, डस्ट और पाउडर के रूप में चन्दन की लकड़ी की स्वीकृति खु.सा. सा. 3 के अधीन स्वतंत्र रूप से अनुमेय होगी। तथापि, चिप्स खुरदरे और विषम आकार और माप और विभिन्न मापों के होंगे और प्रत्येक का वजन 200 ग्राम से अधिक नहीं होगा।"

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th April, 1987

PUBLIC NOTICE NO. 14-ETC(PN)/87

Subject : Export Policy of chips made of Sandal Wood.

File No. 6/29/86/E-I.—Attention is invited to Public Notice No. 8-ETC(PN)/85 dated the 12th April, 1985 on the above subject.

2. The description of Sandal Wood Chips as given in Public Notice No. 8-ETC(PN)/85 dated 12th April, 1985 will be amended as "chips shall be rough and of irregular size and shape and of different sizes and with a weight not exceeding 200 grammes each". Accordingly existing para 4 of Annexure II of Import & Export Policy, April, 1985—March, 1988 (Volume-II) shall be substituted by the following :—

4. "Sandal Wood in the form of chips, flakes dust and powder will be allowed freely under OGL-3. However, the chips shall be rough and of irregular size and shape and of different sizes and with a weight not exceeding 200 grammes each".

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987